न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–12/2005

CIS NO. - 236/2018

नगीना पाठक एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 18.04.2022 की सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 18.04.2022 में कहा गया है कि वर्तमान वाद वादीगण के साक्ष्य हेतु चल रहा था कि वादी रविन्द्र पाठक की मोटर साईकिल दुर्घटना में पैर की हड्डी टुट जाने के कारण वे अपने ईलाज हेतु अस्पताल में है। वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के कारण दिनांक 18.04.2022 को न्यायालय द्वारा वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया। वादी को केवल कागजात पर ही साक्ष्य प्रस्तुत करना है। अतः न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.04.2022 को वापस लेते हुए वादी को कागजात पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने की कृपा करें अन्यथा वादी न्याय पाने से वंचित रह जायेगा। दिनांक 07.09.2022 को बिहार सरकार की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि वादी की गवाही दिनांक 15.09.2017 को साक्ष्य नही देने के कारण बंद कर दी गयी थी जिसकी वापसी हेतु वादी के द्वारा दिनांक 26.07.2018 को आवेदन दिया गया जिसे दिनांक 19.12.2018 के आदेश द्वारा वापस लेकर वादी को दो लगातार तिथियों में साक्ष्य देने का आदेश पारित हुआ। लेकिन वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा वादी का साक्ष्य पुनः बंद कर दिया गया तथा पुनः वादी के आवेदन के आधार पर मो0–2500/– रूपये हर्जे पर आवेदन स्वीकार किया गया लेकिन फिर भी वादी साक्ष्य हेतु लगातार समयावेदन देते रहे और पुनः दिनांक 18.04.2022 को वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया। वादी जानबुझकर वाद के निष्पादन में विलंब कर रहे है। अतः वादी	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–12/2005

CIS NO. - 236/2018

लगातार 17.11.2022	का आवेदन दिनांक 18.04.2022 खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादीगण का साक्ष्य पूर्व में भी दिनांक 15.09.2017 को बंद किया गया था इसके बाद वादीगण के आवेदन पर पुनः साक्ष्य लाने का आदेश हुआ था परंतु वादीगण के द्वारा नियत समय में साक्ष्य नही दिया गया। वादीगण का साक्ष्य करीब 10 वर्षो से चल रहा है लेकिन अभी तक वादीगण की ओर से साक्ष्य बंद नही कराया गया। वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 18.04.2022 के साथ शपथपत्र भी दाखिल नही किया गया है तथा वादी रविन्द्र पाठक की मोटर साईकिल दुर्घटना में पैर की हड्डी टुट जाने के सबंधं में भी कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र दाखिल नही किया गया है। वादीगण को साक्ष्य लाने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। बार–बार वादीगण के आवेदन पर वादीगण को साक्ष्य लाने हेतु समय दिया जाता रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि वादीगण वाद को लंबित रखना चाहते है। अतः न्यायहित में वादीगणों को साक्ष्य लाने हेतु अब समय देना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वादीगण के आवेदन दिनांक 18.04.2022 को खारिज किया जाता है। आगामी दिनांक 14.12.2022 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	